-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **कोतवाली नगर पुलिस द्वारा महिला के पर्स से रुपये चोरी करने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार। महिला के कब्जे से चोरी के 3400 रुपए बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा महिला के पर्स से रुपए चोरी करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.08.2025 को जनपद हमीरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति सौरभ तिवारी ने कोतवाली नगर पर सूचना दी कि दिनांक 11.08.2025 को दोपहर वह अपनी बहन के साथ बस स्टैण्ड बांदा से ई-रिक्शा से जरैली कोठी जा रहा था तभी एक और महिला ई-रिक्शा पर सवार हुई और आगे चलकर पुल के पास उतर गई, जब वह जरैली कोठी पहुंचा और उसकी बहन ने किराया देने के लिए पर्स निकाला तो उसका पर्स खुला था और उसके 4000 रुपए गायब थे। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमें गठीत कर सीसीटीवी फुटेज आदि की मदद से महिला की पहचान करते हुए 24 घण्टे के भीतर महिला को आईटीआई कालेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से चोरी के 3400 रुपए बरामद हुए है तथा अन्य 600 रुपए खर्च होना बताया।

बरामदगी-

- 3400 रुपये नगद चोरी के

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पिंकी पत्नी मुकेश कुमार निवासी मंशूर नगर थाना सकीट जनपद एटा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 670/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी सिविल लाइन
2. म0उ0नि0 रश्मि सिंह
3. कां0 योगेश गुप्ता
4. म0कां0 नीतू यादव